न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः— राकेश कुमार रजक
जमानत आवेदन सं0—279/2026
उत्पाद थाना कांड सं0—113/26
बिहार राज्य बनाम् अशोक चौधरी।

अशोक चौधरी, पे0—स्व0 सरयु चौधरी, उम्र लगभग—45 वर्ष।
साकिन—रमजानपुर, थाना—बरबीघा, जिला—शेखपुरा।
....आवेदक।

वनाम

बिहार सरकार .... विपक्षी।
आवेदक की ओर से—श्री गोपाल कुमार, विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षी की ओर से— श्री अरविंद कुमार, विद्वान विशेष लोक अभियोजक।

आ दे श

17.03.2026 काराधीन अभियुक्त अशोक चौधरी की ओर से नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जो कि दिनांक 08.03.2026 से काराधीन है। उत्पाद थाना कांड संख्या—113/2026 के अंतर्गत धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 से उद्‌भूत है तथा इसी न्यायालय में लम्बित है, सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त जमानत आवेदन को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संचालित किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि ये पूर्णतः निर्दोष हैं। इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि इन्हें इस वाद में मात्र गंदी सोच के तहत झूठा फंसाया गया है। आवेदक के द्वारा पूर्व में नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में इस केस के अलावे एक अन्य उत्पाद थाना कांड संख्या—80/2026 का आपराधिक इतिहास दर्ज है। प्राथमिकी धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 के अंतर्गत दर्ज किया गया है, जो कि आवेदक के विरुद्ध लागू नहीं होता है। आवेदक के पास से कोई अवैध सामग्री बरामद नहीं किया गया मात्र किसी अन्य व्यक्ति को बचाने के ख्याल से उक्त मुदालय को झूठा फंसा दिया गया है। आवेदक को श्रीमान के द्वारा जमानत की सुविधा दी जाती है तो इनके फरार होने की संभावना नहीं है। आवेदक दिनांक 07.03.2026 से काराधीन है। अतः इनको जमानत की सुविधा प्रदान की जाय।

इसके विपरीत, विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त जमानत का विरोध किया गया तथा कहा गया है कि उक्त अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः— राकेश कुमार रजक
जमानत आवेदन सं0—279/2026
उत्पाद थाना कांड सं0—113/26
बिहार राज्य बनाम् अशोक चौधरी।

लगातार

17.03.2026 उभयपक्षों को सुना। अभियोजन का मामला है कि उत्पाद थाना दिनांक 07.03.2026 को समय करीब 04:30PM बजे गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि बरबीघा थाना अंतर्गत रमजानपुर गॉव वार्ड नं0—4 में अशोक चौधरी, पिता—स्व0 सरयु चौधरी के द्वारा अपने घर से चुलाई शराब का क्रय—विक्रय किया जा रहा है। ससमय छापामारी करने पर उक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी हो सकती है तथा शराब की बरामदगी हो सकती है। सूचना को सत्यापित करने हेतु वरीय पदाधिकारी से अवगत कराया, जिन्होंने मेरे नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया, जिसमें म0नि0 सिपाही, गृहरक्षक सिपाही तथा सैप बल के जवानों को शामिल कर समय करीब 04:35PM बजे बरबीघा थाना अंतर्गत रमजानपुर गॉव में वार्ड नं0—4 में अशोक चौधरी, पिता—स्व0 सरयु चौधरी के घर के पास पहुंचा और विधिवत घेराबंदी किया तो उसी क्रम में देखा कि एक व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार से सटे सीढ़ी के पास कुछ समान छुपाने का प्रयास कर रहा था, तो मेरे कहने पर गृहरक्षक के द्वारा उसके घर के सामने मुख्य द्वार से सटे सीढ़ी के पास ही रोक लिया गया, रोके गये व्यक्ति को अपना पहचान एवं तलाशी देते उस व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उस व्यक्ति ने अपना नाम अशोक चौधरी, पे0—स्व0 सरयु चौधरी, उम्र लगभग—45 वर्ष, साकिन—रमजानपुर, थाना—बरबीघा, जिला—शेखपुरा बताया। विधिवत नियमों का पालन करते हुए बरामद उजले रंग की झोला की विधिवत तलाशी ली गयी, तो तलाशी के क्रम में उजले रंग का प्लास्टिक का झोला के अन्दर से 250ml का 08 पाउच चुलाई शराब मिला। कुल चुलाई शराब की मात्रा— 250ml X 08 = 02.000 बरामद व जप्त किया गया। विधिवत नियमों का पालन करते हुए बरामद प्रदर्श को जप्ती सूची तैयार कर जप्त किया गया एवं गिरफ्तारी मेमो बनाकर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से यह विदित होता है कि प्राथमिकी धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 के अंतर्गत दर्ज किया गया। अभियुक्त इस वाद में दिनांक 07.03.2026 से काराधीन है। इनके विरुद्ध अनुसंधान जारी है।

अतः उक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसलिए आवेदक की ओर से दाखिल उक्त जमानत आवेदन को स्वीकार करते हुए आवेदक की ओर से दस हजार रूपये

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः— राकेश कुमार रजक
जमानत आवेदन सं0—279/2026
उत्पाद थाना कांड सं0—113/26
बिहार राज्य बनाम् अशोक चौधरी।

लगातार

17.03.2026 के जमानत बंधपत्र एवं उसी समान राशि के दो प्रतिभू एवं DLSA, Sheikhpura में मो0 1000/— रु0 की राशि की रसीद न्यायालय में दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। साथ ही अभियुक्त को निर्देश दिया जाता है कि एक जमानतदार सगे—संबंधी होंगे तथा इस आशय का अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे कि——

1. इस तरह की घटना में दुबारा सम्मिलित नहीं होंगे।
2. आवेदक आरोप गठन तक प्रत्येक तिथि को न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।
3. अभियुक्त द्वारा न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर अभियोजन आग्रहनुसार इनका बंधपत्र खंडित कर दिया जाएगा।

लेखापित

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश,
शेखपुरा।
दिनांक 17—03—2026.

Date of Judgment/ Order	17.03.2026
Date of Reserving Judgment/Order	17.03.2026
Uploading Date	18.03.2026
Uploaded by	Naveen Kumar Chaudhary.